निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-76/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक - प्रथम विकासनगर (देहरादून)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निबन्धक - प्रथम विकासनगर (देहरादून) के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अजय सिंह लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.09.2018 से 15.09.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री हिमांशु मणि एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04/2015 से 3/2016 तक श्री राजकुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	3487.76
2016-17	2332.97
2017-18	2585.16

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16			शून्य					
2016-17								
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

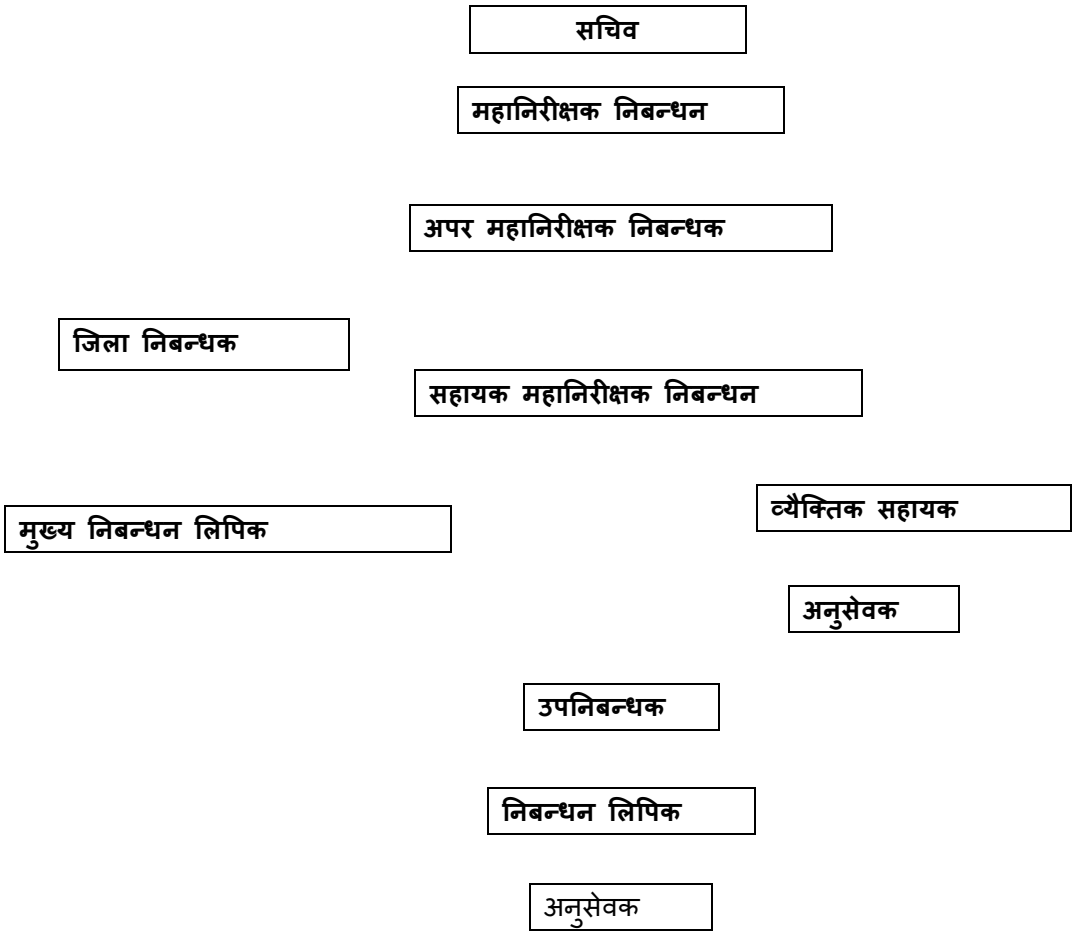

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक - प्रथम विकासनगर (देहरादून)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II(अ)

प्रस्तर सं॰ 1: अनियमित स्टाम्प शुल्क छूट से राजस्व क्षति ₹11.44 लाख।

उत्तराखण्ड शासन से जारी अधिसूचना/आदेश वित्त अनुभाग-9 संख्या 205(1)/2015/XXVII(9)/यू0ओ0-05/स्टाम्प/2015 दिनांक 29 अक्टूबर,2015 द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा-9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके,उद्यम स्थापना हेतुराज्य सरकार/निजी उधयमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों तथा औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों से बाहर भू-स्वामियों से यूएनआई भूमि लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर, पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के निबन्धन में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में वर्णित प्रविधनानुसार छूट प्रदान की गयी थी, जिसमें जनपद हरिद्वार को क्षेणी - डी में वर्गीकृत किया गया था। क्षेणी - डी में भूमि क्रय पर 50% की स्टाम्प शुल्क में छूट दी गयी थी।

भारतीय स्टांप अधिनियम ,1899 के अनुसूची 1 35 -खा के अनुसार, जहां कि लीज तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा विलेख मे, वही शुल्क जो संपत्ति के ,जो लीज की विषयवस्तु हो,बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण -पत्र पर देय हो |

उप निबंधक प्रथम विकासनगर (देहरादून) के 04/2016 से 03/2018 तक के अभिलेखों की जांच में पाया कि उक्त अधिसूचना में उद्यम स्थापना हेतु राज्य सरकार/निजी उधयमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों तथा औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों से बाहर भू-स्वामियों से यूएनआई भूमि लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर, पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के निबन्धन में प्रभार्य स्टाम्प में ही 50% छूट दी गयी थी।परंतु स्थापित औद्योगिक इकाइयो के हस्तांतरण पर कोई छूट अनुमन्य नहीं थी, अत: स्थापित औद्योगिक इकाइयो के हस्तांतरण विलेखों पर सामान्य विलेखों की भांति स्टांप शुल्क लिया जाना था जबकि निम्न विलेखों में उक्तानुसार त्रुटिपूर्ण गणना की गयी थी:

(अ) बही -01, जिल्द संख्या 4269, क्रमांक 905 दिनांक 24 .03.2017को पंजीकृत विलेख में लीज पर 90 वर्ष के लिए दी गई औद्योगिक संपत्ति का पट्टा विलेख रु03,29,70,400/- में किया गया था। जिसपर, रु0 8,24,300 /- स्टाम्प शुल्क दिया गया था जो कि त्रुटिपूर्ण थी। जबकि औद्योगिक संपत्ति पर सही स्टाम्प शुल्क की गणना निम्नानुसार की जानी थी:

संपति का कुल मूल्यांकन

भूमि का मूल्यांकन = रु 1,22,36,000/- (2128x 5000[1]x1.15)

निर्मित क्षेत्र का मूल्यांकन=रु 2,22,24,000/-(1852वर्ग मी x12000/वर्ग मी)

10 वर्ष का किराया = रु 106400 /-

इसप्रकार ,संपति का कुल मूल्यांकन =3,45,66.400/-

देय स्टाम्प शुल्क @5% = रु0 17,28,320/-(34566400x5%)

दिया गयास्टाम्प शुल्क = रु0 8,24,300/-

शेष देय स्टाम्प शुल्क = रु0 9,04,020/-

(ब) बही -01, जिल्द संख्या4261 क्रमांक 746 दिनांक 10.03.2017 को पंजीकृत विलेख में लीज पर 90 वर्ष के लिए दी गई औद्योगिक संपत्ति का विक्रय बैनामा रु0 8391440 /- में किया गया था। जिसपर, रु0 2,09,800/- स्टाम्प शुल्क दिया गया था जो कि त्रुटिपूर्ण थी। जबकि औद्योगिक संपत्ति पर सही स्टाम्प शुल्क की गणना निम्नानुसार की जानी थी:

भूमि का मूल्यांकन = रु 46,00,000/- (800x 5000x1.15)

निर्मित क्षेत्र का मूल्यांकन = रु 43,51,440/- (362.62 वर्ग मी x12000/वर्ग मी)

10 वर्ष का किराया = रु 40,000/-

इसप्रकार ,संपति का कुल मूल्यांकन = रु 89,91,440/-

देय स्टाम्प शुल्क @5% = रु4,49,572/-(89,91,440 x5%)

दिया गयास्टाम्प शुल्क = रु2,09,800/-

शेष देय स्टाम्प शुल्क = रु2,39,772/-

[1]जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 11 के क्रमांक संख्या ए1 के अनुसार सेंट्रल होप टाउन/ सेलाकुई(औद्योगिक) क्षेत्र की सर्किल दर रु 7000 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित गयी थी। विलेख रु 5000 प्रति वर्ग मीटर पर निष्पादित किया गया था । इकाई द्वारा मूल्यांकन सूची के सामान्य अनुदेशिका के क्रमांक 7 पर सिडकुल आदि जैसी संस्थाओ द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर विलेख का निष्पादन रु 5000 पर किया जाना बतलाया जिसके संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये, प्रमाणित साक्ष्य यदि उपलब्ध नहीं कराये गए तो रु 2.40 लाख की अतिरिक्त स्टांप शुल्क की देयता होगी।

उक्त दोनों लीज विलेखों में स्थापित औद्योगिक संपत्ति के हस्तांतरण किया जा रहा था अत: उल्लेखित अधिसूचना के अनुसार कोई छूट अनुमन्य नहीं थी इसप्रकार, दोनों लीज विलेखों द्वारा रु 9,04,020/-+ रु 2,39,772/- कुल रु0 11,43,792 /- स्टाम्प शुल्क कम वसूले गए थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने बिन्दु अ एवं ब के संबंध में उत्तर दिया कि प्रश्नगत विलेख के संबंध में मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 07 में प्रदत्त निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि उ० प्र० वित्त विकास निगम, उ० प्र० आवसीय विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकारणों, जिला उद्योग, केंद्र राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल द्वारा निर्धारित मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमान्य होगी। अत: विलेख पर नित्यमनुसार स्टांप शुल्क अदा किया गया है।

इकाई के द्वारा औद्योगिक छूट लिए जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है एवं आपत्ति धनराशि की गणना इकाई का उत्तर मानते हुए की गयी है।

इसप्रकार, स्टाम्प शुल्क रु11,43,792 /- की कमी के कारण राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II(अ)

प्रस्तर 2: आवर्णनीय मुख्तारेआम पर स्टाम्प शुल्क का अनारोपण ₹ 57.52 लाख।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक-खा-48 के खण्ड (ड॰ड॰) अनुसार जब मुख्तार को अचल संपत्ति का विक्रय करने के लिए अखंडनीय अधिकार किया जाए तो ऐसे अधिकार की विषय-वस्तु के बाजारी मूल्य पर हस्तांतरण (क्रमांक 23) खण्ड (क) के समान शुल्क देय होगा। पुनः टीका 5 में उल्लेख किया गया है कि जब मुख्तार को यह अधिकार दिया जाए की वह संपत्ति की बिक्री का सौदा करे विक्रय पत्र का निष्पादन कर उनका रजिस्ट्रीकरण कराये तब विलेख खण्ड (ड॰ड॰) के अधीन प्रभारणीय होगा।

उप-निबंधक-प्रथम, विकासनगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (04/2016 से 03/2018) में पाया कि विलेख बही - 1,जिल्द - 4040,क्रमांक - 2002 दिनांक 05 मई 2016 को निबंधित किया जिसकी जाँच मे देखा कि संपत्तिस्वामिनी ने दिनांक 08.01.2014 को पंजीकृत एक खंडनीय विलेख बही-4, जिल्द-120, क्रमांक-04 द्वारा अपने पुत्र को अपनी भूमि के लिए मुख्तार नियुक्त किया गया और घोषित किया कि मुख्तार is authorized to receive sale consideration and sign and present the Sale Deed and get the document registered.

विलेख बही - 1,जिल्द - 4040,क्रमांक - 2002 में संपत्तिस्वामिनी ने दिनांक 08.01.2014 जिसमे निम्न तथ्य अंकित पाये:

- कि मुख्तारjointly formed residential layout plan of “LA CITY” under the name of “LA City Township” at Doonga Dehradun. और मुख्तारhas appointed and given/grant M/s. LandAsia Infrastructure Ltd its sole and absolute marketing and selling rights of the said Township.
- कि संपत्ति को संपत्तिस्वामिनी के मुख्तार के माध्यम सेविक्रीत दर्शाया जा रहा था परंतु विक्रय मूल्य (बैनामा)रु0 77,16,500/= राशि M/s LANDASIA INFRASTRUCTURE LIMITED ने प्राप्त की तथा उक्त पर देय TDS रु0 77,165/= भी उनके PAN AABCL1436H में क्रेता ने जमा किया।
- विलेख में दर्शाये जा रहे खसरा संख्याओं में खसरा संख्या 734Ga, 652, 732Ga, 649, 648, 732Kha, 658, 656Ka, 648Ka का भी उल्लेख था जो दिनांक 08.01.2014 को पंजीकृतखंडनीय मुख्तारेआम में भी उल्लेखित थे इसप्रकार, यह स्पष्ट था कि खंडनीय मुख्तार से वास्तव में भूमि/संपत्ति का हस्तांतरण हुआ ।

• उपरोक्त विलेख की भांति **दो-विलेखों**[2] का विक्रय मूल्य (बैनामा) राशि व राशि पर देय TDSM/s LANDASIA INFRASTRUCTURE LIMITED ने प्राप्त किए थे।

• **एक-अन्य-विलेख** [3] जिसमे उक्त खसरा संख्या उल्लेखित थे, विक्रेता संपत्तिस्वामिनी का नाम दर्शायाही नहीं गया था बल्कि मुख्तार स्वयं विक्रेता के रूप में विलेख निबन्धित कर रहा था और विलेख में अंकित है कि Seller is the owner of land, जबकि संपत्ति का स्वामी किस प्रकार बना उल्लेखित नहीं है। इसप्रकार, मुख्तार बिना हस्तांतरण विलेख निष्पादन किए स्टाम्प शुल्क भुगतान किए बिना, संपत्ति का स्वामी की तरह विलेख निष्पादन कर रहा था।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट था कि **संपत्तिस्वामिनीद्वारा निष्पादित खंडनीय मुख्तारेआम विलेख वास्तव में अखंडनीय था, जिसपर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची एक-खा-48 के खण्ड (ड.ड.) के अनुसार भूमि के मूल्य या धनराशि के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण पत्र के समान देय था।** मुख्तारेआम द्वारा 2.8962 हे0 भूमि अर्थात 28962 वर्ग मी0 भूमि का हस्तांतरण किया गया था अत: मुख्तारेआम विलेख पर पूर्ण हस्तांतरण विलेख पत्र की भांति स्टाम्प शुल्क देय था। लेखापरीक्षा में प्रथम विलेख 05 मई 2016 को प्राप्त हुआ अत तददिनांक को उक्त मुख्तारेआम को खंडनीय मुख्तारेआम से अखंडनीय मुख्तारेआम होने पर सर्किल दर रु0 4000/- प्रति वर्ग मी की दर से हस्तांतरित विलेख की भांति स्टाम्प शुल्क निम्नवत देय था:

भूमिका क्षेत्रफल - 28962 वर्ग मी0
सर्किल दर - रु0 4000/- प्रति वर्ग मी
संपत्ति का मूल्याकंन - रु0 11,58,48,000/-
देय स्टाम्प शुल्क @5%= रु0 57,92,400/-
पूर्व भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क = रु0 100
शेष देय स्टाम्प शुल्क = रु0 57,52,300

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि प्रश्नगत विलेख मुख्तारनामे के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके पंजीकरण के संबंध में बही 4 जिल्द 120 क्रमांक 04 दिनांक 8.01.2014 को पंजीकृत होना अंकित है । लेखपत्र के पृष्ठ संख्या 4 में स्पष्ट मुख्तारनामा के संबंध में खंडनीय विलेख होना अंकित किया गया है। अत: विलेख पर नियमानुसार स्टांप शुल्क अदा किया गया है।

---

[2]**बही-I, जिल्द-4107, क्रमांक 3056, दिनांक 12 जुलाई 2016 बही-I, जिल्द-4434, क्रमांक 4177, दिनांक 08 नव0 2017**

[3]**बही-I, जिल्द-4529, क्रमांक 1062, दिनांक 14 मार्च 2018**

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई ने मात्र विलेख में उल्लेखित विलेख की खंडनीयमुख्तारेआम प्रकृति के अनुसार विलेख पर उचित स्टाम्प शुल्क अदा करने को स्वीकार किया था जबकि खंडनीय मुख्तारआम में मुख्तार भू-स्वामी के लिए धन प्राप्त करता है न कि स्वयं के लिए। इंगित विलेखों में मुख्तार स्वयं धन प्राप्त कर रहा था तथा उसके द्वारा बनाई (formed)firm धन प्राप्त कर रही थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि firm विक्रेता न होते हुए भी विक्रय मूल्य प्राप्त कर रही थी। इसप्रकार, यह स्पष्ट था कि **खंडनीय मुख्तारेआम विलेख वास्तव में अखंडनीय नहीं है** के संबंध मेंकोई उत्तर नहीं दिया।

अत:स्टाम्प शुल्क रु0 57,52,300/= की राजस्व हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता ।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर सं॰ 1 : निबंधन शुल्क का अनारोपण रु25,000/-

भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 के परिशिष्ठ - 7 की टिप्पणी 1 में प्रावधान किया गया है कि किसी दस्तावेज़ के निबंधन के लिए फीस जिसमें सुभिन्न मामले समाविष्ट हों, ऐसे फीस योग्य होगी, जो प्रत्येक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उससे संबन्धित पृथक-2 दस्तावेज़ पर प्रभार्य होगी ।

कार्यालयउप निबंधक प्रथम विकासनगर (देहरादून) के माह 04/2016 से 03/2018 तक की अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं॰ 1, जिल्द 4478 क्रमांक 44 दिनांक 03.01.2018 को हस्तांतरण विलेख में वर्णित संपत्ति के तीन विक्रेता है जो अपने-अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर रहे हैक्योकि पूर्व निबंधित विलेख क्रमांक 2410 दिनांक 03/07/2017 मे स्पष्ट उल्लेखित हैं की विक्रेता संख्या -01 का ½ भाग हैं, इसलिए निबंधन फीस दो ली जानी चाहिए थी जो कि नहीं ली गयीथी।इस प्रकार निबंधन फीस कि गणना निम्न प्रकार से है :

विक्रय मूल्य की धनराशि : रु 73,50000 /-

निबंधन शुल्क की राशि: रु1,47,000 (73,50,000/-X 2%अधिकतम देय 50,000/-)

दिया गया निबंधन शुल्क = रु 25,000

अंतर की राशि = रु 25,000(50,000-25,000)

इस प्रकार रु 25,000/- निबंधन शुल्क कम वसूल किए जाने से राजस्व हानि हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने कहा कि प्रश्नगत विलेख की विषय वस्तु में क्रेतागणो द्वारा पृथक-पृथक अंशानुसार अंतरण किए जाने संबंधी तथा निर्दिष्ट होना अंकित जिससे स्पष्ट है कि उक्त विलेख के माध्यम से संयुक्त रूप से अंतरण किया जा रहा है जिस पर अधिकतम शुल्क रु 25000/- नियमानुसार उचित अदा किया गया है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पूर्व मेंक्रेताओ केहस्तांतरण विलेख बही 1 जिल्द 4344 क्रमांक 2410 दिनांक 03.07.2017 के वांछित विवरण के क्रमांक 7 में यह अंकित किया गया है कि विकृत भूमि में क्रेता 1 का ½ भाग है। इस से स्पष्ट होता है कि दो पृथक-पृथक विक्रेता हैं। इसलिए निबंधन फीस दो ली जाएगी ।

अत: निबंधन शुल्क रु25,000/- अनारोपित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	2 अ	2 ब	2 अ	2 ब	2 अ	2 ब
41/1999-2000	-	1	-	-	-	1
50/2002-2003	-	1,2	-	-	-	1,2
37/2004-2005	1	1	-	-	1	1
22/2008-2009	-	2	-	-	-	2
37/2011-2012	1	-	-	-	1	-
23/2013-2014	-	1,2,3,4	-	-	-	1,2,3,4
26/2014-2015	-	1,2	-	2	-	1
06/2015-2016	-	1	-	-	-	1
02/2016-2017	सभी प्रस्तर निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल कर लिए गए है।					

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
	शून्य		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबन्धक - प्रथम विकासनगर (देहरादून)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री आदर्श कुमार	उप.निबन्धक (14.07.13 से 17.07.18 तक)
(ii)	श्री सोहन लाल खण्डेलवाल,	उप. निबन्धक (18.07.18 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप निबन्धक - प्रथम विकासनगर (देहरादून)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र